BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (05)/2019

<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u>

(वित्त विभाग)

विषय: वर्ष2019-20केलिएसामान्यभविष्यनिधिकाअंशदान

सामान्यभविष्यनिधिनियमोंकेअनुसार, सामान्य भविष्यनिधिके अंशदानकीराशिको एक कैलेंडर वर्ष के दौरान एक एकबारकमकियाजासकताहैऔरदोबारबढ़ायाजा सकता है ।भविष्य निधि के केवल वे सदस्य,जो मार्च 2019 के महीने से अंशदान की दरों में किसी भी परिवर्तन की इच्छा रखते हैं,वे निम्नलिखित प्रारूप में अनुभाग अधिकारी (GPF) को इसकी सूचना **20 मार्च 2019** तक भेज सकते हैं ।

As per General Provident Fund Rules; amount of subscription can be reduced once and enhanced twice during the course of a particular year. Only those members of the provident fund, who desire any change in the rates of subscription from the month of March 2019, may please send the same to Section Officer (GPF) by **20March 2019** in the following format:

क्रमांक**Sl. No.**	कर्मचारी संख्या **Employee No.**	नाम और पदनाम **Name & Designation**	अंशदान की राशि **Amount of Subscription ***	हस्ताक्षर**Signature**

**** वेतन से की जा रही सभी वैधानिक कटौती जैसे आयकर आदि को ध्यान में रखते हुए अंशदान की राशि भरी जा सकती है। यदि उल्लिखित अंशदान राशि वैधानिक कटौती के दायरे से अधिक है, तो अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।***

**** The amount of subscription may be filled after taking into account all the statutory deductions like Income Tax etc., being made from the salary of the individuals. In case the subscription mentioned exceeds net of statutory deductions, the request will not be considered.***

निर्धारिततिथितकअपेक्षितसूचनाप्राप्तनहींहोनेकीस्थितिमें,अंशदान राशि उसीदरपरकाटीजाएगीजिसपरफरवरी2019केवेतनसेकटौतीकीगई है .

In case the requisite information is not received by the stipulated date, subscription will be deducted at the same rate at which it is deducted from the salary of February 2019

.

इसकेअलावाआपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया जाता है कि वे कर्मचारी, जिन्होंनेअभीतकअपनानामांकनफार्मनहींभराहै, कृपयानामांकनफार्मतुरंतभरदेंऔरजल्दहीवित्तविभागकोभेज दें ।यदिविवाहकेबादपरिवारमेंकोईपरिवर्तनहोताहैतोआवश्यकपरिवर्तनकरनामांकनप्रपत्रमेंसम्मिलितकियाजासकताहै ।

Further, it may be noted that those employees, who have not yet filled up their nomination form, may please fill up the nomination form immediately and send the same to the Finance Department at the earliest. If there is any change in the family after marriage, necessary change may be incorporated in the nomination form.

(गुरप्रीतसिंह)
निदेशकवित्त

हमारासन्दर्भ:वित्त/जी पी एफ/11:4
दिनांक:11मार्च2019

परिचालित सेवा में भा मा ब्यूरो इंटरनेट के माध्यम से :

- **सभी क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालय / प्रशिक्षणसंस्थान/ केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रमुख**
- **मुख्यालय के सभी विभागों के प्रमुख**
- **भा मा ब्यूरो के सभी अधिकारी एंवम कर्मचारी**

प्रतिलिपि -जानकारी के लिए

- ❖ **निजी सचिव (महानिदेशक) - महानिदेशक की जानकारी के लिए**
- ❖ **अपर महानिदेशक / मुख्य सतर्कता अधिकारी / सभी उप महानिदेशक**

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंट्रानेट पर रखने के लिए